संख्या-9/2026/71/59-2-2026/002-1811561

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 05 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत खादी के शोध, डिजाइन, मानकीकरण एवं प्रचार-प्रसार योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-1536/खा0ग्रा0बो0/खादी/खादी शोध/2025-26, दिनांक 12.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में खादी के शोध, डिजाइन, मानकीकरण एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 300.00 (रू0 तीन करोड़ मात्र) के सापेक्ष संख्या-37/2025/207/59-2-2025/001-1811561, दिनांक 10 जुलाई, 2025 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपरान्त योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) में से खादी बोर्ड द्वारा की गयी मांग के क्रम में द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 51,45,380.00 (रूपये इक्यावन लाख पैंतालिस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।

(3) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-30/खा0ग्रा0बो0/खादी/निफ्ट/2025-26, दिनांक 21.04.2025 में संलग्न की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 51,45,380.00 (रूपये इक्यावन लाख पैंतालिस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-**005 **लेखा शीर्षक** 2851001051500 खादी के शोध, डिजाइन, मानकीकरण एवं प्रचार-प्रसार हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-159-X-2025-26, दिनांक 24.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 9/2026/71(1)/59-2-2026/002-1811561 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज, उ0प्र0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in